

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण)

(संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) अधिनियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहतरवै वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1975 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम सं. 11) की धारा 6 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिक प्रभार की रकम, उस उप-धारा में निर्दिष्ट एकल यात्री भाड़े के दस गुना के बराबर या दो हजार रुपये, जो भी कम हो, होगी।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए, राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम सं. 11) में संशोधन प्रस्तावित करने का विनिश्चय किया है।

धारा 6 की विद्यमान उप-धारा (2) यह उपबंधित करती है कि समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त किये जाने वाले अधिक प्रभार की रकम, साधारण एकल यात्री भाड़े या पांच रुपये, जो भी अधिक हो, के बराबर होगी।

वर्तमान संदर्भ में, उक्त उपबंध के अधीन, समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने वाले व्यक्ति से वसूल किया जाने वाला अधिक प्रभार बहुत ही अल्प है। निगम की मोटर गाड़ी में किसी व्यक्ति को समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने से रोकने के लिए अधिक प्रभार की रकम को बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।

इसलिए, इस अधिक प्रभार की रकम को बढ़ाकर एकल यात्री भाड़े के दस गुना की रकम के बराबर या दो हजार रुपये, जो भी कम हो, किये जाने का विनिश्चय किया गया है। तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

प्रताप सिंह खाचरियावास,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण)
अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम सं. 11) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

6. समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने के लिये दण्ड.-

(1) यदि कोई व्यक्ति-

(क) धारा 4 के उल्लंघन में किसी मोटर गाडी में समुचित पास या टिकट के बिना प्रवेश करता है या उसमें बना रहता है या किसी भी रीति से उसमें यात्रा करता है; या

(ख) किसी मोटर गाडी में यात्रा करते समय या उसमें बने रहते समय या उसमें से उतर जाने पर, धारा 5 के अधीन पास या टिकट की अध्यपेक्षा की जाने पर परीक्षा के लिये उसे तुरन्त प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इन्कार करता है; या

(ग) निगम को धोखा देने के आशय से धारा 8 के स्पष्टीकरण के खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ), (च), (छ) तथा (ज) के अर्थों में कोई अविधिमान्य टिकट या एकल पास या एकल टिकट जिसका किसी पूर्वतन यात्रा में पहले ही उपयोग हो चुका है या किसी वापसी टिकट की दशा में उसका आधा भाग जिसका पहले ही उपयोग किया जा चुका है, का उपयोग करता है या उपयोग करने का प्रयास करता है-

तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा और उस दूरी के साधारण एकल यात्री भाडे के अतिरिक्त, जिस तक उसने समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा की है, उप-धारा (2) में वर्णित अधिक प्रभार का या जब उस स्थान के बारे में कोई संदेह है जहां से उसने समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा आरंभ की है, वहां उस स्थान से यात्री भाडे का जहां से मोटर गाडी मूलतः खाना हुई थी, या यदि उसी मोटर गाडी से यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों के

टिकटों की मोटर गाडी के मूलतः खाना होने के पश्चात् परीक्षा की जा चुकी है तो उस स्थान से साधारण एकल भाडे का, जहां पर कि टिकटों की अन्तिम बार परीक्षा की गई थी, संदाय करने का भी दायी होगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिक प्रभार की रकम उस उप-धारा में निर्दिष्ट साधारण एकल यात्री भाडे या पांच रुपये, जो भी अधिक हो, के बराबर होगी।

(3) XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT SERVICE
(PREVENTION OF TICKETLESS TRAVEL)
(AMENDMENT) BILL, 2021**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

*further to amend the Rajasthan State Road Transport Service
(Prevention of Ticketless Travel) Act, 1975.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan State Road Transport Service (Prevention of Ticketless Travel) (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 11 of 1975.- For the existing sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan State Road Transport Service (Prevention of Ticketless Travel) Act, 1975 (Act No. 11 of 1975), the following shall be substituted, namely:-

"(2) The excess charge referred to in sub-section (1) shall be a sum equivalent to ten times of the single fare referred to in that sub-section or two thousand rupees whichever is less."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to strengthen the power of the Rajasthan State Road Transport Corporation, the State Government has decided to propose amendment in the Rajasthan State Road Transport Service (Prevention of Ticketless Travel) Act, 1975 (Act No. 11 of 1975).

The existing sub-section (2) of section 6 provides that the excess charge, to be paid by a person travelling without proper pass or ticket, shall be a sum equivalent to the ordinary single fare or five rupees whichever is greater.

In the present context, under the said provision, the excess charge to be recovered from a person travelling without proper pass or ticket is very meagre. To prevent a person from travelling without proper pass or ticket in motor vehicle of the Corporation, it has become necessary to increase the amount of excess charge.

Therefore, it has been decided to increase the amount of excess charge to a sum equivalent to ten times of the single fare or two thousand rupees whichever is less. Accordingly, sub-section (2) of section 6 of the said Act is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

प्रताप सिंह खाचरियावास,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STATE
ROAD TRANSPORT SERVICE (PREVENTION OF
TICKETLESS TRAVEL) ACT, 1975**

(Act No. 11 of 1975)

XX XX XX XX XX XX

6. Punishment for travelling without proper pass or ticket- (1) If a person-

- (a) enters or remains in a motor vehicle or in any way travels therein without proper pass or ticket in contravention of section 4; or
- (b) while travelling by a motor vehicle or while remaining in it or having alighted from it, fails or refuses to present for examination pass or ticket immediately on requisition being made therefor under section 5; or
- (c) uses or attempts to use with intend to defraud the corporation as invalid ticket within the meaning of clauses (a), (b), (c), (e), (f) and (g) of the Explanation to section 8 or a single pass or a single ticket which has already been used on a previous journey, or in the case of a return ticket, a half thereof which has already been used,

he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred and fifty rupees or with both and shall also be liable to pay the excess charge mentioned in sub-section (2) in addition to the ordinary single fare for the distance which he has travelled without proper pass or ticket or where there is any doubt as to the place from which he started his journey without proper pass or ticket, the fare from the place from which the motor vehicle originally started or if the tickets of other person travelling by the same motor vehicle have been examined since the original starting of the motor vehicle, the ordinary single fare from the place where the tickets were last examined.

(2) The excess charge referred to in sub-section (1) shall be a sum equivalent to the ordinary single fare referred to in that sub-section or five rupees whichever is greater.

(3) xx xx xx xx xx xx xx
XX XX XX XX XX XX XX

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण)
(संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण)
अधिनियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 11 of 2021

**THE RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT SERVICE
(PREVENTION OF TICKETLESS TRAVEL)
(AMENDMENT) BILL, 2021**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

*further to amend the Rajasthan State Road Transport Service
(Prevention of Ticketless Travel) Act, 1975.*

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

**PRAMIL KUMAR MATHUR,
Secretary.**

(Pratap Singh Khachariyawas, **Minister-Incharge**)